

अनुरोध के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के ऐच्छिक स्थानों की सूची।

क्र०सं०	नाम/ गृह जनपद/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रेषित ऐच्छिक स्थान		अभ्युक्ति
			विकल्प 1 से 5 तक	विकल्प 6 से 10 तक	
1.	मो० इरफान/ बिजनौर /1.7.70	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खंड-1, नई टिहरी	जल विज्ञान खंड, बहादुराबाद (उपखंड-2)	-	शहनाज बेगम पत्नी मो० इरफान ने अपने पति के खराब स्वास्थ्य के दृष्टिगत उनका स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2.	मनमोहन सिंह बिष्ट/ नैनीताल/06.08.79	सिंचाई खंड, कपकोट (उपखंड-2)	1 सि०ख० काशीपुर उप-3 2 सि०ख० नैनीताल उप-1 3 सि०ख० नैनीताल उप-5 4 सि०ख० हल्द्वानी उप-2 5 सि०ख० नैनीताल उप-3	-	स्वयं की माता जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी देखभाल करने हेतु स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3.	प्रयाग दत्त भट्ट/ अल्मोडा/02.04.68	सिंचाई खंड, कपकोट (उपखंड-3)	जमरानी बाँध निर्माण खंड-2, हल्द्वानी	-	58 वर्ष से अधिक होने एवं बच्चे उच्च शिक्षा हेतु हल्द्वानी में शिक्षारत होने के कारण सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
4.	नवीन चन्द्र पाण्डे/ नैनीताल/4.01.69	सिंचाई खंड, हल्द्वानी के विरुद्ध सिंचाई कार्य मण्डल हल्द्वानी में सम्बद्ध	1 सि०ख० रुद्रपुर 2 सि०ख० सितारगंज 3 जमरानी बाँध निर्माण खंड-2, हल्द्वानी	-	55 वर्ष से अधिक होने एवं दुर्गम की सेवा 10 वर्ष से अधिक होने के कारण स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।
5.	दीपक चन्द्र रमोला/ टिहरी/10.06.86	प्रशासन खंड, रुड़की (उपखंड-3)	1 सि०ख० देहरादून उप-4 2 सि०ख० विकासनगर उप-2 एवं 3 3 सि०ख० टिहरी उप-1 4 सि०ख०, नरेन्द्रनगर उप-1	-	प्रशासन खंड, रुड़की में पदस्थापना होने के उपरान्त उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में सहायक प्रबन्धक के पद पर सम्बद्धीकरण होने के फलस्वरूप अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।
6.	विष्णु शंकर सिंह राणा/ उत्तरकाशी/ 1.07.92	अवस्थापना खंड, उत्तरकाशी	1 सि०ख० उत्तरकाशी 2 सि०कार्य मण्डल उत्तरकाशी	-	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।
7.	गौरव गोयल/ सहारनपुर/8.07.90	सिंचाई खंड, हरिद्वार (उपखंड-2)	सिंचाई खंड, रुद्रप्रयाग या आसपास किसी खंड में पदस्थापना या सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	-	श्रीमती उर्वशी पत्नी श्री गौरव गोयल, लिपिक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रुद्रप्रयाग ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने पति का स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

h

28/5

8.	शहजाद आलम / हरिद्वार / 2.06.68	परिकल्प खंड, रुड़की के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी में सम्बद्ध	सम्बद्धीकरण आदेश निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	-	स्वास्थ्य खराब रहने के कारण सम्बद्धीकरण आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
9.	मदन मोहन जोशी / अल्मोड़ा / 1.7.71	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, ज्योलीकोट नैनीताल	1 सिं0ख0 काशीपुर उप-3 2 सिं0ख0 नैनीताल उप-4 3 सिं0ख0 हल्द्वानी उप-2 4 सिं0ख0 नैनीताल उप-3 5 सिं0ख0 रुद्रपुर उप-3	6 सिं0ख0 रुद्रपुर उप-1 7 सिं0ख0 रुद्रपुर उप-2 8 सिं0ख0 हल्द्वानी उप-1 9 सिं0ख0 नैनीताल उप-1 10 सिं0ख0 नैनीताल उप-2	स्वयं की माता जी के चिकित्सा उपचार करवाने हेतु स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।
10.	हरीश चन्द्र / पौड़ी / 25.11.68	सिंचाई खंड, लोहाघाट (उपखंड-3)	1 सिं0ख0 काशीपुर उप-3 2 सिं0ख0 रामनगर उप-3 3 सिं0ख0 नैनीताल उप-3 4 सिं0ख0 हल्द्वानी उप-4 5 सिं0ख0 हल्द्वानी उप-2	6 सिं0ख0 रुद्रपुर उप-3 7 सिं0ख0 सितारगंज उप-2	स्वयं की पत्नी एवं माता जी के स्वास्थ्य उपचार हेतु स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है
11.	गीतेश गौरव सैनी / हरिद्वार / 21.09.86	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	1 सिं0ख0 उत्तरकाशी उप-1 2 पी0एम0जी0एस0वाई0 बैजरो 3 सिं0ख0 कालसी उप-2 4 सिं0ख0 श्रीनगर उप-3 5 पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0-1 टिहरी	6 पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर 7 सिं0ख0 थराली उप-कर्णप्रयाग 8 सिं0ख0 पुरोला उप-4 9 पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 पुरोला 10 सिं0ख0 रुद्रप्रयाग उप-1	वर्ष 2023 से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत रहने के कारण स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
12.	महेन्द्र पाल सिंह / अमरोहा / 07.08.84	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, अल्मोड़ा	1 सिं0ख0 नैनीताल उप-5 2 सिं0ख0 नैनीताल उप-1 3 पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 ज्योलीकोट 4 सिं0ख0 सितारगंज उप-1 5 सिं0ख0 रामनगर उप-3	6 सिं0ख0 नैनीताल उप-4	स्वयं की माता जी के चिकित्सा उपचार करवाने एवं उनकी देखभाल करने हेतु स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।
13.	अभिषेक तोमर / देहरादून / 30.04.85	अवरथापना खंड, डाकपत्थर	1 सिं0ख0 कालसी उप-2 2 सिं0ख0 कालसी उप-4 3 सिं0ख0 विकासनगर 4 अवरथापना खंड, डाकपत्थर	-	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है

bc

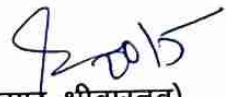
20/5

14.	सुरेन्द्र मोहन / पौड़ी / 20.05.72	परिकल्प खंड, रुड़की	1 सि०ख० नरेन्द्रनगर उप-4 2 सि०ख० टिहरी उप-4 3 सि०ख० टिहरी उप-1 4 सि०ख० श्रीनगर 5 सि०ख० विकासनगर	6 अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून	अनिवार्य स्थानान्तरण में नाम न आने के कारण स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।
15.	इन्द्र कुंवर / नैनीताल / 26.09.75	सिंचाई खंड, हरिद्वार (उपखंड-5)	1 सि०ख० काशीपुर 2 सि०ख० नैनीताल उप-कालादूँगी 3 जमरानी बौध निर्माण खंड-2, हल्द्वानी	-	स्वयं की पत्नी एवं बच्चों की देखभाल करने हेतु स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
16.	गिरिराज नौटियाल / हरिद्वार / 9.03.77	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।		स्वयं के चिकित्सा उपचार करवाने हेतु स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
17.	ज्ञानेश चन्द्र / पिथौरागढ़ / 5.04.78	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खंड, अल्मोड़ा	1 मुख्य अभियन्ता स्तर-2 हल्द्वानी 2 सि०कार्यमण्डल उधमसिंहनगर 3 सि०ख हल्द्वानी 4 सि०ख० नैनीताल	-	स्वयं के पिताजी के चिकित्सा उपचार एवं उनकी देखभाल हेतु स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।
18.	महेन्द्र सिंह जलाल / अल्मोड़ा / 30.10.66	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खंड, अल्मोड़ा	1 सि०ख० हल्द्वानी 2 सि०कार्य मण्डल हल्द्वानी 3 मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी 4 सि०ख० रुद्रपुर 5 सि०ख० रामनगर	-	स्वयं के पिताजी के स्वास्थ्य उपचार करवाने एवं स्वयं 55 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।
19.	योगेश चन्द्र कोटियाल / टिहरी, उत्तराखण्ड / 6.08.87	सिंचाई खंड, केदारनाथ (उपखंड-2)	1 सि०ख० नरेन्द्रनगर (उपखंड-कीर्तिनगर)	-	स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
20.	भूपेन्द्र सिंह असवाल / टिहरी / 25.09.71	अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून	यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया है।	-	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
21.	सुनील कुमार / पौड़ी / 10.12.78	पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० जखोली	1 सिंचाई खंड हरिद्वार उप-2 2 सि०ख० हरिद्वार उप-5	-	पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

h

20/5

22.	प्रणय कुमार फरासी / देहरादून / 15.02.66	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून	1 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून	-	माह फरवरी 2026 में सेवानिवृत्ति होने एवं स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।
23.	प्रवीण सिंह / रुद्रप्रयाग / 20.07.73	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, बैजरो	1 पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, चिन्यालीसौड 2 पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, उत्तरकाशी	-	स्वयं के भाई एवं वृद्धि पिता के चिकित्सा उपचार एवं उनकी देखभाल करने हेतु स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।


 (संजीव कुमार श्रीवास्तव)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
 कृते प्रमुख अभियन्ता